

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 माघ 1938 (श0)

(सं0 पटना 121) पटना, वृहस्पतिवार, 16 फरवरी 2017

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना 16 जनवरी 2017

एस0 ओ0 07, दिनांक 16 फरवरी 2017—राज्य सरकार, भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्ते विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का 27) की धारा—22(एच) सह पिठत बिहार भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम 284 (क) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए निबंधित निर्माण कामगारों एवं उनके आश्रितों के हितार्थ अनुदान में वृद्वि एवं नयी योजना को प्रारम्भ करने का प्रावधान करती है, जो निम्नवत् है:—

- (क) (I). मातृत्व लाभ—निबंधित महिला निर्माण कामगारों के प्रथम दो प्रसव तक ''शिशु जन्म प्रमाण—पत्र'' अथवा ''अस्पताल प्रसव प्रमाण—पत्र'' के आधार पर प्रसव के बाद अनुदान की राशि को रूपये 1000 / को बढ़ाकर एकमुश्त रूपये 10,000 / (रूपये दस हजार) मात्र किया जाता है। यह अनुदान स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के अतिरिक्त होगा।
 - (II). पेंशन—अटल पेंशन योजना से आच्छादित 18 वर्ष से 40 वर्ष उम्र के निबंधित निर्माण कामगारों को पेंशन देने हेतु रूपये 1,200/— (रूपये एक हजार दो सौ) मात्र का प्रीमियम राशि का वहन बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किये जाने का प्रावधान जो पूर्व से अधिसूचित है, के अतिरिक्त वैसे निर्माण कामगार जिन्होंने 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात बोर्ड में निबंधित हुये हों, को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, पेंशन के रूप में प्राप्त राशि रूपये 150/— प्रतिमाह को बढ़ाकर रूपये 1000/— (रूपये एक हजार) मात्र प्रतिमाह की जाती है, बशर्त कि वे सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आच्छादित न हों।
 - (III). विकलांगता पेंशन—निबंधित निर्माण कामगारों के लकवा, कोढ़, टी.बी. अथवा दुर्घटना आदि के द्वारा "स्थायी रूप से विकलांगतां" की स्थिति में पेंशन की राशि रू0 150/— प्रतिमाह को बढ़ाकर 1,000/— प्रतिमाह तथा एकमुश्त अनुदान की राशि 5,000/— रूपया को बढ़ाकर "स्थायी पूर्ण निःशक्तता" की स्थिति में एकमुश्त रूपये 75,000/— तथा "स्थायी

- आंशिक निःशक्तता" की स्थिति में एकमुश्त अनुदान रूपया 50,000 / की राशि भुगतान का प्रावधान किया जाता है।
- (IV). मृत्यु लाम—स्वाभाविक मृत्यु में निबंधित निर्माण कामगार के आश्रितों को अनुदान की राशि 15,000/— को बढ़ाकर 1,00,000/— (रूपये एक लाख) एवं दुर्घटना मृत्यु के मामले में रूपये 50,000/— को बढ़ाकर रूपये 4,00,000/— (रूपये चार लाख) की जाती है। परन्तु यदि दुर्घटना मृत्यु आपदा के समय होती है एवं जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा दुर्घटना मृत्यु में मात्र रूपये 1,00,000/— (रूपये एक लाख) देने का प्रावधान किया जाता है।
- (V). नकद पुरस्कार—प्रत्येक वर्ष सभी जिलों के तीन निबंधित निर्माण कामगारों के एक पुत्र एवं एक पुत्री को, जिन्होंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, द्वारा आयोजित मैट्रीक परीक्षा में अपने जिला में अधिकतम अंक प्राप्त किया हो, को क्रमशः 1,000/— रूपये 750/— एवं रूपये 500/— को बढ़ाकर क्रमशः रूपये 25,000/— रूपये 15,000/— एवं रूपये 10,000/— के नकद पुरस्कार का प्रावधान किया जाता है। इस हेतु जिला श्रम कार्यालय में प्राप्त कुल आवेदन में ही अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले निर्माण कामगारों के पुत्र/पुत्री को नकद पुरस्कार के लिए चयनित किया जायेगा।
- (VI). लाभार्थी की चिकित्सा सहायता—निबंधित निर्माण कामगार जिन्होने मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से सहायता प्राप्त नहीं किया हो, को असाध्य रोग की चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या—2353(14) दिनांक 12.09.2006 सह—पिटत संकल्प ज्ञापांक—752 (14) दिनांक 26.06.2015 द्वारा निर्धारित राशि के समतुल्य चिकित्सा सहायता देने का प्रावधान किया जाता है। इस सहायता के लिए विभाग द्वारा "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" में वर्णित अनुदान प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।
- (VII). शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता—निबंधित निर्माण कामगारों के पुत्र एवं पुत्रियों को आई. आई.टी. / आई०आई०एम० / एम्स जैसे अन्य उत्कृष्ट कोटि के सरकारी राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में अध्ययन के लिए दाखिला होने पर बोर्ड द्वारा उनके पूरे कोर्स का ट्युशन फीस एकमुश्त संबंधित सरकारी संस्थान को दिये जाने का प्रावधान किया जाता है। इसके अतिरिक्त बी—टेक या समकक्ष कोर्स के अध्ययन के लिए भारतवर्ष में कहीं भी सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एकमुश्त रूपये 20,000 / (रूपये बीस हजार) मात्र तथा पोलिटेकनिक / निर्मिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स के अध्ययन के लिए बिहार राज्य में अवस्थित सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एकमुश्त रूपये 10,000 / (रूपये दस हजार) मात्र एवं सरकारी आई.टी.आई. या समकक्ष के लिए एकमुश्त रूपये 5,000 / (रूपये पाँच हजार) मात्र देने का प्रावधान किया जाता है।
- (VIII). विवाह के लिए वित्तीय सहायता—तीन वर्ष के लगातार सदस्यता वाले निबंधित निर्माण कामगार के अधिकतम दो वयस्क पुत्रियों के अथवा स्वयं महिला सदस्यों के विवाह के लिए रूपये 2,000/— (रूपये दो हजार) मात्र की अनुदान राशि को बढ़ाकर रूपये 50,000/— (रूपये पचास हजार) मात्र किया जाता है। परन्तु दूसरी शादी करने वाले निर्माण श्रमिक इस लाभ के हकदार नहीं होंगे। यह अनुदान योजना अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है।
- (ख). भवन निर्माण / मरम्मति, औजार एवं साईकिल क्रय अनुदान योजना—बोर्ड द्वारा पूर्व से संचालित भवन निर्माण / मरम्मति, औजार एवं साईकिल क्रय अनुदान योजना को अलग—अलग योजनाओं में निम्नानुसार विखंडित किया जाता है:—
 - (I) भवन मरम्मित अनुदान योजना—इस अनुदान हेतु एकमुश्त रूपया 20,000 / (रूपये बीस हजार मात्र) भुगतान करने का प्रावधान किया जाता है। निबंधित निर्माण कामगार जो बोर्ड में तीन वर्षो की लगातार सदस्यता पूरी कर लिये होंगे, वही इस अनुदान की पात्रता रखेंगे। चूंकि निबंधित निर्माण कामगारों को उनकी पूरी सदस्यता अविध में एक ही बार यह अनुदान देय है अतः जिन कामगारों को पूर्व में भवन निर्माण / मरम्मित औजार एवं साईकिल क्रय अनुदान योजना का लाभ प्राप्त हो चूका है, उन्हें यह लाभ देय नहीं होगा।
 - (II) साईकिल क्रय अनुदान योजना—अहर्ता प्राप्त लाभुकों को साईकिल क्रय हेतु जिलों में कैम्प आयोजित कर अधिकतम रूपये 4,000 / (रूपये चार हजार मात्र) का कूपन देय होगा। उसी शिविर में लाभुक द्वारा कूपन के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित Basic Equipment एवं Specification को पूरा करने वाले एजेंसी से ही साईकिल क्रय किया जायेगा। चूंकि निबंधित निर्माण कामगारों को उनकी पूरी सदस्यता अविध में एक ही बार यह अनुदान देय है

अतः जिन कामगारों को पूर्व में साईकिल क्रय अनुदान योजना का लाभ प्राप्त हो चूका है। उन्हें यह लाभ देय नहीं होगा।

(III) औजार क्रय अनुदान योजना—अहर्ता प्राप्त निबंधित निर्माण कामगारों के कौशल उन्नयन के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षणोंपरान्त उनके प्रशिक्षण सें संबंधित व्यवसाय (Trade) का हीं अधिकतम रूपये 15,000 / – (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) का औजार (Tools) देने का प्रावधान किया जाता है।

उपरोक्त सभी अनुदान योजनाओं में आवेदन देने की प्रक्रिया तथा स्वीकृति के सक्षम प्राधिकार के बिन्दु पर आदेश निर्गत करने हेतु बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाता है।

उपरोक्त योजनाओं के लिए अन्य शर्ते जो कि"बिहार भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्ते विनियमन) नियमावली 2005 एवं "बिहार भवन एवं अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली 2016 में परिभाषित है", पूर्ववत् रहेगी।

बिहार भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्ते विनियमन) (संशोधन) नियमावली 2016 के नियम 267 के उपनियम (1) एवं (2) के द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सिन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित निर्माण कामगारों को प्रतिमाह देय अंशदान की राशि रू० 0.50 (पचास पैसे) मात्र प्रतिमाह के प्रावधान से वे निबंधित निर्माण कामगार भी आच्छादित होंगें जिनके सदस्यता में पूर्व में अंशदान न जमा किये जाने के कारण टूट हो गयी है, बशर्ते उनकी सदस्यता में दो बार से अधिक टूट न हुई हो।

(सं० बी.सी.डब्लू.सी.–62/2014–34%) बिहार–राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, उप–सचिव।

16 जनवरी 2017

एस0ओ0 08, एस0 ओ0 07, दिनांक 16 फरवरी 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

> (सं॰ बी.सी.डब्लू.सी.–62 / 2014–34%) बिहार–राज्यपाल के आदेश से, अमरेन्द्र नारायण मिश्र, उप–सचिव।

The 16th January 2017

S.o. 07, dated 16th February 2017—In exercise of the power conferred by section 22(h) of the Building and other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1996 (27 of 1996), and Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) (Amendment) Rules, 2016, the Government of Bihar makes following provisions to enhance the grants and to initiate new schemes for the welfare of registered Construction Workers and their dependents:-

- (A)(i). *Maternity Benefit.* Amount of grant payable after delivery of first two child of the registered female construction worker on the basis of 'Birth Certificate' of child or the 'Certificate issued by the Hospital' for the same, is enhanced from Rs. 1000/-(Rupees One thousand) to Rs. 10,000/-(Rupees Ten thousand). This grant will be additional to the grant of the Health, Social Welfare Department, or any other Department of Government of Bihar.
 - (ii). *Pension* As notified earlier, under Atal Pension Scheme, the Board would pay premium amount of Rs. 1200/-(Rupees One thousand two hundred) for registered Construction Workers between the age group of 18 years and 40 years. However, for those construction workers who get registered in Board after attaining the age of 40 years, will get a pension amount of Rs. 1000/-(Rupees One thousand) per month after attaining 60 years of age. Earlier the pension amount for these workers were Rs. 150/- (Rupees One hundred fifty) per month.

- (iii). *Disability Pension*—The amount of Pension is enhanced from Rs. 150/-(Rupees One Hundred Fifty) per month to Rs. 1000/- (Rupees One Thousand) per month for those registered construction workers who are permanently disabled due to paralysis, leprosy, T.B, or accident etc. One time grant is enhanced from Rs. 5000/-(Rupees Five Thousand) to Rs. 75,000/- (rupees Seventy Five Thousand) in case of permanent disablement and onetime grant of Rs. 50,000/-(Rupees Fifty thousand) is provisioned in case of permanent partial disablement.
- (iv). *Death Benefit*—The amount of grant provided to dependent of registered construction workers, in case of the 'Natural Death', is enhanced from Rs. 15,000/- (Rupees Fifteen Thousand) to Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) and in case of 'Accidental Death', the amount of grant is enhanced from Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand) to Rs. 4,00,000/- (Rupees Four Lakh). But if 'Accidental Death' occurs due to any disaster and the grant is already sanctioned by the Disaster Management Department, in such case, only Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) will be sanctioned by the Board.
- (v). Cash Award— The Cash award of Rs. 1000/-(Rupees One Thousand), Rs.750/-(Rupees Seven Hundred Fifty) and Rs. 500/- (Rupees Five Hundred), which was provisioned for the sons and daughters of three registered Construction Workers in every District for scoring highest marks in Matric Examination conducted by Bihar School Examination Board, is enhanced to Rs. 25,000/- (Rupees Twenty Five Thousand), 15,000/- (Rupees Fifteen Thousand) and Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand) respectively. For this purpose, the selection for cash award will be based on the applications (regarding obtaining highest marks) received in the District Labour Office.
- (vi). *Medical Assistance to the Beneficiaries*—For such registered Construction Workers who did not receive financial assistance from "Mukhya Mantri Sahayata Kosh" for the treatment of chronic diseases, will be entitled for medical assistance from the Board. The medical assistance will be equivalent to the assistance provisioned in the resolution no. 2353(14) dated- 12.09.2006, and resolution memo no.-752(14), dated- 26.06.2015 of Health Department, Government of Bihar. The process for obtaining this grant will be same as the process adopted for obtaining grant under "Bihar Shatabadi Asangathit Karyakshetra Kamgar and Shilpkaar, Samajik Suraksha Yojna 2011".
- (vii). Financial Assistance for Education—If the Sons/Daughters of registered construction workers get admitted in IIT/IIM/AIIMS or such premiere Government Institute of National level, Board will pay the total tuition fees of such wards. In addition to this, it is also provisioned that Board will pay Rs. 20,000/-(Rupees Twenty Thousand) at a time of admission in any of the Government Institution, in India for studying in B.Tech. or equivalent Courses; Rs. 10,000/-(Rupees Ten thousand) for studying in Polytechnic/Nursing or equivalent diploma courses in Government institution situated in the State of Bihar; and Rs. 5000/-(Rupees Five thousand) for studying in Government ITI or equivalent Courses.
- (viii). Financial Assistance for Marriage—Amount of grant for the financial assistance for the marriage of two adult daughters of registered construction workers or of registered female construction workers themselves, having 3 years of continuous membership, is enhanced from Rs. 2000/-(Rupees Two Thousand) to Rs. 50,000/-(Rupees Fifty Thousand). But this benefit could not be availed in case of re-marriage of construction workers. This scheme is in addition to the schemes which are provisioned for encouragement of inter cast marriages.

- **(B).** Grant for House Construction/Repair and purchase of Tools & Bicycle—The Scheme of Grant for House Construction/Repair and purchase of Tools & Bicycle is dissociated in the form of separate schemes which are as follows:-
 - (i). Grant for the Repair of House—Registered Construction worker having continuous membership of 3 years will be entitled for grant of Rs. 20,000/-(Rupees Twenty thousand) which will be paid once in the whole period of membership. However, registered construction workers who have already availed this benefit under 'Grant for House Construction/Repair and purchase of Tools & Bicycle' are not entitled for this grant.
 - (ii). *Grant for Purchase of Bicycle*—Eligible beneficiaries will be entitled to purchase bicycle through Camps which will be organized in every District. In these Camps beneficiaries will be provided Coupon of maximum Rs. 4000/-(Rupees Four thousand) for purchasing bicycle from the agencies who fulfill the basic equipments and specification determined by the Board. Since this benefit will be provided to registered construction workers only once in the whole period of membership, and hence those registered construction workers, who have already availed this benefit would not be entitled for the same.
 - (iii). *Grant for purchase of Tools*—It is provisioned that registered construction workers who have completed their training provided by Board for skill development will be equipped with tools related with their trade costing maximum Rs. 15000/-(Rupees Fifteen Thousand).

In all the above Schemes, Chairman of Board is authorized to issue orders regarding the process of applying for grants and sanctioning authority of schemes.

Other conditions in respect of the above schemes, which are defined in the Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) Rules, 2005 and Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) (Amendment) Rules, 2016 will remain same.

The provision of Sub Rules (1) and (2) of the Rules 267 of Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Condition of Service) (Amendment) Rules 2016 of contribution of Rs. 0.50/- (Fifty paise) per month of registered construction workers will also cover such construction workers who have lost their membership due to the discontinued payment of contribution, subject to the condition that breakage in their membership is not more than twice.

(No. BCWC-62/2014-34 LR) By Order of the Governor of Bihar, AMRENDRA NARAYAN MISHRA. Deputy Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 121-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in